रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 1993/वैशाख 6, 1915
No. 248] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 1993/VAISAKHA 6, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1993

का. आ. 272 (अ):— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की धारा 2 की उपधारा (ङ) के साथ पठित अनुसूची–1

की मद 3 के अनुसरण मे (i) दि जयत पेपर मिल्स लिमिटेड, उत्रान, जिला सूरत, गुजरात और (ii) दि सन पेपर मिल लिमिटेड, पी. बी. 2, चेरनमहादेवी, जिला तिरूनेवेल्ली, तमिलनाडु को अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप मे अधिसूचित करती है।

[सं. 3(2)/91—कागज]

अखण्ड प्रताप सिह, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 26th April, 1993

S.O. 272(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in pursuance of item 3 of Schedule I read with sub-clause (e) of clause 2 of the Newsprint Control Order, 1962, the Central Government hereby notifies (i) the Jayant Paper Mills Limited, Utran, District Surat. Gujarat, and (ii) the Sun Paper Mill Limited, P.B. 2, Cheranmahadevi, District Tiruneveli, Tamil Nadu, as mills producing newsprint.

[No. 3(2)|91-Paper]

AKHAND PRATAP SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993